

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईत्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-42/2023

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2. लक्ष्मीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. अमनदीप पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. अमीचन्द पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2. इन्द्राज पुत्र गणेशाराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. ओमप्रकाश पुत्र गणेशाराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4. दुलीचन्द पुत्र ख्यालीराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
5. जयदेव पुत्र बीरबलराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
6. धन्नाराम पुत्र बीरबलराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह संगरिया जिला हनुमानगढ
7. श्योपतराम पुत्र बीरबलराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र बीरबलराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
9. मदनलाल पुत्र बीरबलराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
10. ग्रुप सिंह पुत्र बीरबलराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
11. नत्थुराम पुत्र नौरंगराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
12. वेदपाल पुत्र नौरंगराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
13. ओमप्रकाश पुत्ररामलाल जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
14. राधेश्याम पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह संगरिया जिला हनुमानगढ
15. सुभावचन्द्र पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
16. जयचन्द पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
17. देवराज पुत्र भादर जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह संगरिया जिला हनुमानगढ (फोत)
- 17/1 रामथ्यारी पत्नी भादर जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानाढ
- 17/2 कमल पुत्र देवराज पुत्र भादर जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 17/3 विमला पत्नी देवराज पुत्र भादर जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
18. प्रेम कुमार पुत्र मंगतराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह, संगरिया जिला हनुमानगढ
19. विनोद कुमार पुत्र लालचन्द जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
20. महावीरप्रताद पुत्र लालचन्द जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
21. पुर्णराम पुत्र लालचन्द जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
22. राजेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
23. रमेश कुमार पुत्र नत्थुराम पुत्र कोडाराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
24. रोधताश पुत्र देवीलाल पुत्र सुरजाराम जाति ब्राह्मण सा.नगराना तह, संगरिया जिला हनुमानगढ
25. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

यस कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

डिक्री

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री .....मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 16NGR

1. सुरजाराम पुत्र फुसाराम (फौत) जाति ब्राह्मण सा.नगराना (कब्जा वारिसान) की कब्जा काशत की भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
171/224	74	14/0.253, 15/0.228, 15/2/0.025 रास्ता

2. लक्ष्मी देवी पत्नी ओमप्रकाश, अमनदीप पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण सा.नगराना की कब्जा काशत की भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
171/225	87	6/0.228, 6/2/0.025 रास्ता

3. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण सा.नगराना की कब्जा काशत की भूमि :-


प.न.	मु.न.	किला नं.
162/218	56	7/2/0.020, 14,17/0.506

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अधिकार दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/817 दनांक 12.02.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काशत होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज......मुब्लिक......बाबत......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.3.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

  
(जय कौशिक)  
न्यायाधिकार कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधीक्षक संगरिया